(6)

19.6.18 पत्रावली न्याय आपके द्वारा कैम्प 10 बजे में पेश हुई।

वादीगण अनुप० प्रतिवादी सं० 1 व 2 उपस्थित।

प्रतिवादी सं० 1 व 2 द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश अनूपशहर के समक्ष वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अनजानी को जा राम आदि V/S फूली देवी आदि नम्बरी दिवानी वाद सं० 11/11 जिसके द्वारा वादी गण ने बैयनामा दि 2.1.1969 को निरस्त करने बावत पेश किया था। जिसका निर्णय दि 3-6-2016 को हो चुका है। जिसकी छाया प्रति पेश की। जिसका अवलोकन किया गया विवादित कृषि भूमि वादीगण के पिता मल्लू राम द्वारा दि 2-1-69 को प्रतिवादी सं० 1 के पति व प्रतिवादी सं० 2 के पिता रूसी राम को बेचान कर दी थी। व बैयनामा पंजीकृत करा दिया था उक्त बैयनामा को निरस्त कराने हेतु वादीगण द्वारा सिविल न्यायाधीश अनूपशहर के समक्ष प्रस्तुत वाद सिविल न्यायाधीश अनूपशहर द्वारा दि 3-6-2016 को मेरिट पर (गुण व अवगुण) के आधार पर दोनो पक्षो को सुनकर किया गया है जिसमे सिविल न्यायालय ने बैयनामा दि 2.1.1969 को फर्जी व कूट रचित नही माना और ना ही विवादित कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा होना माना। चूंकि विवादित कृषि भूमि वादीगण के पिता द्वारा दि 2.1.1969 को जरिए पंजीकृत बैयनामा विक्रय कर दी गई है और ना ही विवादित कृषि भूमि पर वादी गण का कब्जा कायम है इसलिए वादीगण किसी प्रकार की घोषणात्मक डिक्री व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है लिहाजा प्रकरण के समस्त तथ्यो को देखते हुए वादी गण द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो

फूली देवी

3/3/16 पत्रावली प्रस्तुत हुई। P.O साहब अवकाश/भ्रमण पर है अतः पूर्व आदेशानुसार ... 28/4/16 को प्रस्तुत हो।

28-4-16 पत्रावली प्रस्तुत हुई। P.O साहब अवकाश/भ्रमण पर है अतः पूर्व आदेशानुसार ... 23.5.16 को प्रस्तुत हो।

23.5.16 पत्रावली पेश हुई। नि० श्री न्याय आपके हार कैम्प में पधारे हुए है आईंदा दिनांक 28.6.16 कैम्प पु० GB मे पेश हो।

28.6.16 पत्रावली न्याय आपके हार कैम्प पु० GB मे पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रतिवादीगण रामस्वरूप उपस्थित वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद इकरार नामा के आधार पर अनुतोष चाहा है। वादी वकील ने टीनेंट नही है इकरार नामा के आधार पर वांछित अनुतोष सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे है। वादीगण इकरार नामा के आधार पर सिविल न्यायालय मे वाद दायर कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार

6.5.16 पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प उ०प्र० मे पेश हुयी पक्ष गण उप० नही। आयन्दा दिनांक 22.6-16 को पेश हो

[signature]

22.6-16 पत्रावली पेश हुयी। ... न्याय आपके द्वार कैम्प मे पधारे हुए थे आयंदा दि 29.6-16 को पेश हो।

[signature]

...16 पत्रावली पेश हुयी बार-2 आवाजे लगवाने के बावजूद ना वादीगण तथा ना ही वकील वादीगण उप०। अत: वाद को अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो

[signature]

Scanned by CamScanner

5.7.16 पत्रावली पेश हुयी बार-2 आवाजे लगवाने के बावजूद ना तो वादी गण उप० एवं ना ही वादी गण वकील उप० अतः प्रकरण को निरस्त (खारिज) अदम पैरवी एवं अदम पैरवी हाजरी मे इसी स्टेज पर किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब व तकमील दाखिल दफ्तर हो

वकील वादी कोर्ट में फेहरिस्त शामिल किया गया पत्रावली वास्ते जवाब स्टेट हेतु आइन्दा दिनांक 27/4/16 को पेश हो

27.4.16 पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आइन्दा दि 4.5.16 को वास्ते जवाब स्टेट हेतु फिर पेश हो।

4.5.16 पत्रावली प्रस्तुत हुई। P.O. [illegible] पर है अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली आइन्दा दिनांक 25.5.16 को प्रस्तुत हो।
P.O. अन्य कार्य में व्यस्त हैं

25.7.16 पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित पूर्व आदेश अनुसार दि 13.7.16 को पेश हो

[illegible] पत्रावली वादी भगवान कौर पुत्री साधू सिंह जाति बावरी द्वारा प्रा० पत्र के साथ सहमति पत्र (बटवारा नामा) में वर्णित रकबा के अनुसार आपसी बटवारे में पक्षकारान का पंच पंचायत की समझाइश एवं लोक अदालत की प्रेरणा से राजीनामा हो गया है जिससे हम पक्षकारान सहमत हैं। आपसी बटवारा कर लिया गया है। अब कोई विवाद नहीं है प्रकरण मौजूदा स्टेज पर वाद पत्र जरिए फेहरिस्त दाखिल दफ्तर फरमाया जावे। प्रा० पत्र के आधार पर (वाद) कारवाही स्टेज पर समाप्त किया जाता है पत्रावली फैसल शुदा है के नम्बर से कम बाद तरतीब र कमील दाखिल दफ्तर हो

आसमान कौर
पहचान करता
भगवान कौर
करने वाले
सरजीत कौर
सतनाम कौर
8/5/16

Scanned by CamScanner